

## आदेश

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रधानाचार्य वर्ग 'क' को उनके नामों के सम्मुख अंकित संस्थानों का अतिरिक्त चार्ज व डी० डी० ओ० तत्काल प्रभाव से दी जाती है:-

क्र०	जिस संस्थान की आदान प्रदान शक्तियां दी जानी है।	जिस संस्थान के प्रधानाचार्य को आदान प्रदान शक्तियां प्रदान की जाती है।	टिप्पणी
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मातनहेल तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुबलघन।	श्री विरेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सालहावास।	श्री राजेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मातनहेल के बिमार होने पर उनके अवकाश के दौरान व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दुबलघन में प्रधानाचार्य वर्ग 'ख' की नियुक्ति नहीं होने तक श्री विरेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सालहावास को अपने कार्य के अतिरिक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मातनहेल व दुबलघन का अतिरिक्त चार्ज व डी० डी० ओ० दी जाती है। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा।
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तरावडी।	श्री बलदेव सिंह, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुरुक्षेत्र।	श्री बलदेव सिंह, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुरुक्षेत्र को अपने कार्य के अतिरिक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तरावडी में प्रधानाचार्य वर्ग 'ख' की नियुक्ति होने तक संस्थान का अतिरिक्त चार्ज व डी० डी० ओ० दी जाती है। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा।

दिनांक: 11.02.2016

एस०के० गोयल, आई.ए.एस.

महानिदेशक,

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ०क० टीई/९९/१५८/डीडीओ/ २३३

दिनांक: 11/2/2016

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)।
2. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट।
3. खजाना अधिकारी, करनाल व झज्जर।
4. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1)।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मातनहेल, दुबलघन व कुरुक्षेत्र
6. सम्बन्धित अधिकारी।

सहायक निदेशक (प्रशासन-11) 11/2

कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।